

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधि सूचना ॥

पटना-15, दिनांक-17-2-17

संख्या-14/प्रो० 119/2016 1956 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-), के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-) में कॉलम-4 में अंकित तिथि के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	श्री बिन्द्रश्वरी प्रसाद	424	1.07.2015	उप विकास आयुक्त, अरवल। (अपने वेतनमान में)
2	श्री जय शंकर मंडल	520	23.06.2016	अपर समाहर्ता, (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया। (अपने वेतनमान में)
3	श्री आमोद कुमार शरण	530	23.06.2016	अपर समाहर्ता, अररिया। (अपने वेतनमान में)
4	श्री उदय प्रताप सिंह	539	23.06.2016	जिला प्रबंधक, बी०एस०एफ०सी०, जहानाबाद।
5	श्री भीम प्रसाद	561	23.06.2016	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
6	श्री कंचन कपूर	564	23.06.2016	उप विकास आयुक्त, बेगूसराय। (अपने वेतनमान में)

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. उपर्युक्त क्र०सं०-4 एवं 5 के पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर में उत्कर्मित करते हुये सभी 6 पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर में उनके द्वारा धारित पद पर पदस्थापित किया जाता।

4. उपर्युक्त सभी नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०-1956 / पटना-15, दिनांक-17-2-17
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।